दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/ 01 दिनांक: 15.07.2022

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.- 184/2022

विषय:- Indian Railways Law Department (Deputy Chief Law Officer, Senior Law Officer and Law Officer) Group 'A' and Group 'B', Recruitment Rules, 2017.

विषयवस्तु पर प्रकाशित **भारत का राजपत्र** क्रमांक 1022, रेल मंत्रालय की अधिसूचना **[F.No.2007/E(G)I/20/2/RR]** दिनांक: **22.12.2017** की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है।

उपरोक्त नियम दपूमरे की अधिकारिक वेब-साइट http://www.secr.indianrailways.gov.in एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—Dept./Div of SECR—HQ—Personnel—Rules & Publications

Share Folder-

Personnel—PCPO—Ruling—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.

15.7.22
(अशोक कुमार शर्मा)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1022] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2017/पौष 1, 1939
No. 1022] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2017/PAUSHA 1, 1939

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1578(अ).— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेलवे वरिष्ठ विधि अधिकारी, विधि अधिकारी, सहायक विधि अधिकारी तथा संपदा अधिकारी (समूह "क" और समूह "ख" पदों) भर्ती नियम, 1992 का अधिक्रमण करते हुए इस प्रकार के अधिक्रमण से पहले की उन बातों के सिवाय जिन्हें किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय रेल के विधि विभाग में उप मुख्य विधि अधिकारी, वरिष्ठ विधि अधिकारी और विधि अधिकारी के पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे उप मुख्य विधि अधिकारी, वरिष्ठ विधि अधिकारी एवं विधि अधिकारी (समूह "क" और समूह "ख" पदों) भर्ती नियम, 2017 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ 1 में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होगा जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.- पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वही होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

5. निरर्हता .- कोई भी व्यक्ति ,-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.- जहाँ केंद्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, और उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम.	पदों की संख्या.	वर्गीकरण.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर.	चयन या अचयन पद.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप मुख्य विधि अधिकारी	9*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रेलवे सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता.	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.

व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.					
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 में वरिष्ठ विधि अधिकारी जिन्होंने स्तर 11 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिनके पास विधि में स्नातक की डिग्री हो और कानूनी मामलों में कार्रवाई करने का दस वर्ष का अनुभव हो. **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है. प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी- (क)(i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल है:- 1. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड—अध्यक्ष. 2. सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड—सदस्य. 3. सदस्य इंजीनियरींग, रेलवे बोर्ड — सदस्य	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

			(ii) जिन्होंने नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रु.) में स्तर 11 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) जिनके पास विधि में स्नातक की डिग्री हो और कानूनी मामलों में कार्रवाई करने का 10 वर्ष का अनुभव हो. **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे. इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं होगा. **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी. **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. वरिष्ठ विधि अधिकारी.	17* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है.	रेलवे सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रु.) में स्तर 11	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 में विधि अधिकारी जिनकी स्तर 8 में 6 वर्ष की नियमित सेवा हो तथा जिनके पास विधि में स्नातक की डिग्री हो और कानूनी मामलों में कार्रवाई करने का पाँच वर्ष का अनुभव हो. **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है.	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- 1. संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष अथवा सदस्य — अध्यक्ष. 2. कार्यपालक निदेशक, प्रबंध सेवाएं निदेशालय, रेलवे बोर्ड —सदस्य 3. विधि सलाहकार, रेलवे बोर्ड — सदस्य	प्रोन्नति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. विधि अधिकारी	70* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रेलवे सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रु.) में स्तर 8	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	रिक्तियां वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) के स्तर 7 में ऐसे मुख्य विधि सहायक से चयन (जिसमें लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा भी है) के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस श्रेणी में नियमित दो वर्ष की सेवा की हो और जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री रखता हो और साथ ही उसके पास विधि मामलों की कार्यवाई का दो वर्ष का अनुभव हो.	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- 1. अपर महा प्रबंधक —अध्यक्ष.	लागू नहीं होता

		टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है.	2. प्रधान वित्त सलाहकार/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी— सदस्य 3. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/- मुख्य कार्मिक अधिकारी— सदस्य	

[फा. सं. 2007/ई(जी आर) I/20/2/आर आर]

चेतन प्रकाश जैन, कार्यपालक निदेशक स्था.(राजपत्रित संवर्ग)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2017

G.S.R 1578(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Railways Senior Law Officer, Law Officer, Assistant Law Officer and Estate Officer (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Chief Law Officer, Senior Law Officer and Law Officer in the Law Department of Indian Railways, namely:–

1. Short title and commencement.– (i) These rules may be called the Railways Deputy Chief Law Officer, Senior Law Officer and Law Officer (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2017.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, Level in pay matrix.– The number of posts, their classification, Levels in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.– The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Deputy Chief Law Officer.	9* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Railway Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 12 in the pay matrix (₹78800-209200)	Selection post	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short term contract.	**Promotion:** Senior Law Officer in Level 11 of the pay matrix with five years regular service in Level 11 and having bachelor's degree in law plus ten years experience of handling legal matters. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher Level or grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories or recognised research institutions or Universities or public sector undertakings or Semi-Government or statutory or autonomous organisations-	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman, Railway Board —Chairman. 2. Member Staff, Railway Board — Member 3. Member Engineering, Railway Board —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

			(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department. or (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 11 in the pay matrix (₹ 67700-208700). and (b) possessing the bachelor's degree in law with ten years experience of handling legal matters. **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by Deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Senior Law Officer.	17* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	Railway Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 in the pay matrix (₹ 67700-208700)	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By promotion.	**Promotion:** Law Officer in Level 8 in the pay matrix with six years regular service in Level 8 and having bachelor's degree in law plus five years experience of handling legal matters. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member UPSC – Chairman.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making promotion.

			provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher Level or grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	2. Executive Director of Directorate of Management Services, Railway Board – Member. 3. Legal Adviser, Railway Board - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Law Officer	70* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Railway Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 8 in the pay matrix (₹47600-151100)	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	By promotion	**Promotion:** Vacancies shall be filled by promotion through selection (which shall include a written test and viva-voce) from Chief Law Assistant in Level 7 in the pay matrix (₹ 44900-142400) with two years regular service in the grade and having bachelor's degree in law from a recognised University with two years experience of handling legal matters. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional General Manager — Chairman. 2. Principal Financial Adviser/ Financial Adviser & Chief Accounts Officer — Member. 3. Principal Chief Personnel Officer/Chief Personnel Officer— Member.	Not applicable.

[F. No. 2007/E(GR)I/20/2/RR]

CHETAN PRAKASH JAIN, Executive Director, Estt.(Gazetted Cadre)

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.12.22 22:17:45 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.